

FORM-II

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated- 28/12/2018

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.806 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Dewal-Mundoli Motor Road to G.I.C. Lwani Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Lwani, Tajpur village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.806 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

निला आदिकारी

वसौली

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate on dated 28.12.2018 at time 17:00 Hrs. at Chamoli in which application claiming rights in Lwani, Tajpur area measuring 0.806 hect for the Construction of Dewal-Mundoli Motor Road to G.I.C. Lwani Motor Road, forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Chamoli

Dated: 28/12/2019

(Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी

चमोली

प्रभागीय वन्याधिकारी
बद्रीनाथ बन प्रधान, गोपेश्वरा

**District Social Welfare Officer
Chamoli**

Attachment 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से राहड़ोकाठ ल्वाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.580 हेतु आरक्षित, 0.226 हेतु सिविल, कुल 0.806 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ल्वाणी

तहसील — थराली, जनपद — चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से राहड़ोकाठ ल्वाणी तक मोटर मार्ग हेतु (0.580 हेतु आरक्षित, 0.226 हेतु सिविल, भूमि) अर्थात् कुल 0.806 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ल्वाणी द्वारा दिनांक.....

०५-०१-२०१८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ल्वाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत एकास अधिकारी
द्वारा दिया गया
प्रियकाश राणे देवाल-५८०
ग्राम सचिव
मुहर सहित



Attachment 1.6 (D)

दिनांक 5-1-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...मेलोडी...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	रमला देवी	रमला देवी
	मल्लिम रमेश	Ramalay
	माता लक्ष्मी	माता लक्ष्मी
	द्वारा लक्ष्मी	द्वारा लक्ष्मी
	रमला पर्वती	रमला पर्वती
	कुमार लक्ष्मी	कुमार लक्ष्मी
	स-स लक्ष्मी	C-S LAKSHMI
	राजा लक्ष्मी	Rajya.
	स-स लक्ष्मी	स-स लक्ष्मी
	रमेश लक्ष्मी	रमेश
	महेन्द्र लक्ष्मी	Mahanendra
	मल्लिम लक्ष्मी	मल्लिम लक्ष्मी
	दीपा लक्ष्मी	Deepa
	माला लक्ष्मी	Mala
	लक्ष्मी	लक्ष्मी



Attachment 1.6 (B)

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली में देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० ल्वाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.५४० हे० आरक्षित, ०.२२.६ हे० सिविल, हे० वन पंचायत, कुल ०.४०.६ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ०.४०.६ हे० (०.५४०.. हे०

आरक्षित वन भूमि, ०.२२.६ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.४०.६ हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक १२-०८-२०१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चन्दन प्रदेशी श्रीमान्, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री चन्दन प्रदेशी श्रीमान् उपजिलाधिकारी थराली अध्यक्ष

2— श्री बोग्पाल सिंह किल्लू उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

मध्य पिण्डर वन क्षेत्र सदस्य

सहायक समाज क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य / सचिव

क्षेत्र पंचायत डॉलोरी

विष्णु साहाराज चौहानी सदस्य

सहायक समाज क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य

5— श्री मनोज सिंह पटाकी बी०डी०सी० क्षेत्र मनोज (मनोज सिंह पटाकी) सदस्य

शे०पं० सदस्य बलांण-पिनाऊ

विं०ख०-देवाल (चमोली) सदस्य

6— श्री बी०डी०सी० क्षेत्र विं०ख०-देवाल (चमोली) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली में देवाल—मुन्दोली मोटर मार्ग से रा०इ०का० ल्वाणी तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु ०.४०.६ हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।